

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2018**

विषय:- श्री राजा राम, से0नि0, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राजा राम, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-05-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजा राम के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राजा राम, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 पता-मु0 अलीगंज, निकट रामा का इमामबाडा, शहर व जिला-बांदा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-62/2018/2193/दो-2-2018-28/2(23)/2018  
लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2018

श्री राजा राम, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-05-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री राजा राम, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 पता-मु0 अलीगंज, निकट रामा का इमामबाडा, शहर व जिला-बांदा, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।